रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, श्रीकृष्णपुर (खानपुर), उत्तराखण्ड–247663

Rani Dharm Kunwar Government Degree College, Dallawal, Shrikrishanpur (Khanpur),Haridwar Uttarakhand-247663

Website: ggdcdallawalakhanpur.in **E-mail: govtdckhanpur@gmail.com**

सूचना विवरणिका

लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन

(Proactive Disclosure by Public Authority)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअल

(धारा–4 के अनुपालन में)

प्रथम संस्करण 2024–2025

प्रस्तुतकर्ता

डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य

लोक सूचना अधिकारी/प्राचार्य

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, श्रीकृष्णपुर (खानपुर), हरिद्वार, उत्तराखण्ड

प्राचार्य

प्राचार्य का सन्देश

यह नव स्थापित महाविद्यालय अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा है कि, उत्तराखण्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा तात्कालिक प्रकटन के दायित्व के अन्तर्गत इस महाविद्यालय के द्वारा प्रथम सूचना अधिकार विवरणिका संस्करण 2024–25 प्रकाशित की जा रही है।

सूचना के अधिकार को जन सामान्य तक पहुँचाने तथा इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस विवरणिका का प्रथम संस्करण जारी किया जा रहा है। इस सूचना विवरणिका में सम्मिलित सभी 17 मैनुअल एवं उनके अन्तर्गत प्रदत्त सामग्री जन सामान्य तथा महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इस आशय से अत्यन्त उपयोगी एवं सूचनाप्रद होगी कि इसके माध्यम से समस्त हितधारकों को यथोचित सूचनाएं एवं जानकारियाँ एक दृष्टि में ही उपलब्ध हो सके। विवरणिका के वर्तमान स्वरूप में सतत् सुधार की आवश्यकता निरन्तर बनी रहेगी तथा एतदर्थ विभिन्न हितधारकों के सुझावों का स्वागत है जिन्हें आगामी संशोधनों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

यह महाविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड के समस्त अधिकारियों के सतत् मार्गदर्शन के लिए आभारी है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि यह सूचना विवरणिका अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगी।

(डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य)
प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, श्रीकृष्णपुर (खानपुर)
हरिद्वार

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) बी तथा धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4)के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित 17 बिन्दुओं पर स्वतः प्रकटन ।

<u>अनुक्रमणिका–</u>

1–संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य।

2–अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।

3–विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।

4–कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानक/नियम।

5–अपने द्वारा या अपने नियत्रंणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये किये गये नियमः, विनियम, अनुदेशः, निर्देशिका एवं अभिलेख।

6–ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रंणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।

7–किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।

8–ऐसे बोर्डों, परिषदों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भाग, रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है, कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।

9–अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

10–प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों से यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

11–सभी योजनाओ, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट।

12–सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि ओर ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है।

13–अपने द्वारा अनुदत्त, रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।

14–किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

15–सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचनालय के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है,तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है ।

16–लोक सूचना अधिकारियो के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

17–ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय ।

प्राचार्य
रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

मैनुअल – 1

सगठंन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्त्तव्य

उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के खानपुर विकासखण्ड के ग्राम दल्लावाला क्षेत्र में अवस्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय, दल्लावाला–खानपुर (हरिद्वार) उत्तराखण्ड शासन के राजाज्ञा–641/xxiv (7)–2(घो)/2014–15 दिनांक 11 सितम्बर 2014 द्वारा स्थापित हुआ है। उत्तराखण्ड शासन के राजाज्ञा–1237(1)/XXIV-C-2/2021-01(घो)/2014 दिनांक 12 नवम्बर 2021 द्वारा महाविद्यालय का नाम संशोधित रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार) हुआ है। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद यह महाविद्यालय अपने स्थापना वर्ष से लेकर वर्तमान तक विभिन्न अवस्थापनात्मक समस्याओं से जूझता हुआ सतत् चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। महाविद्यालय में उपलब्ध सीमित संसाधनो के बावजूद यह उच्च शिक्षण संस्था छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक उकृष्टता के सृजन, बोध एवं प्रसार तथा व्यवसायिक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला–खानपुर (हरिद्वार) उच्च शिक्षा के प्रसार एवं समुन्नयन के लिये निम्नलिखित प्रयास कर रहा है।

1–**योग्य व कुशल प्राध्यापकों**– द्वारा नवीन शिक्षण प्रविधियों द्वारा पाठयक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से छात्र/छात्राओं में सम्प्रेषित करना।

2–**पुस्तकालय व वाचनालय की सुविधा**– नवसृजित महाविद्यालय होने के साथ महाविद्यालय का पुस्तकालय व वाचनालय अपने सीमित संसाधनों से छात्र/छात्राओं के पुस्तक सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। छात्र/छात्राओं हेतु ई–ग्रंथालय की सुविधा उपलब्ध है।

3–**प्रयोगशाला की सुविधा**– महाविद्यालय में कला संकाय है तथा महाविद्यालय के पास अपनी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध है।

4–**छात्रवृत्ति**– महाविद्यालय में अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं मेधावी छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है।

5–**एन0एस0एस0**– विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार यह योजना संचालित की जाएगी। एन0एस0एस0 के आधे यूनिट महाविद्यालय में खोलने के लिए विश्वविद्यालय में प्रस्ताव भेजा गया है।

6–**शैक्षणिक कार्य**– महाविद्यालय में पठन–पाठन का बेहतर माहौल विकसित करने हेतु शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 236 कार्य दिवस निर्धारित किये गये है। साथ ही परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य बनायी गयी है।

7–**यू0जी0सी0**– महाविद्यालय यू0जी0सी0 की धारा 2(f) से आच्छादित है और अभी 12(बी) श्रेणी से आच्छादित करने के लिए प्रकिया में है।

8–**रोवर रेंजर्स** – रेंजर दल महाविद्यालय में संचालित है।

9– **नैक ग्रेडेड**– महाविद्यालय को नैक सी ग्रेड प्राप्त है।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

10– **देवभूमि उद्यमिता विकास केन्द्र–** उत्तराखण्ड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में देवभूमि विकास केन्द्र स्थापित है जिसके माध्यम से छात्र/छात्राओं को स्व रोजगार से सम्बन्धित जानकारी दी जाती है।

मैनुअल – 2

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

प्राचार्य के वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार

1–महाविद्यालय की सामान्य प्रशासकीय व्यवस्था, अनुशासन, कार्य संचालन।

2–शिक्षण व्यवस्था, छात्र –प्रवेश, परीक्षाओं का आयोजन।

3–शिक्षणेत्तर कार्यकलाप तथा खेलकूद गतिविधियों का आयोजन।

4–शिक्षणेत्तर कर्मियों के वर्तमान में 02 पद रिक्त हैं।

5–शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन/अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

मैनुअल – 3

निर्णय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाले प्रकिया

जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

शासकीय प्रकृति के रेखीय संगठन में प्राधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होते है इसके विपरीत उत्तरदायित्व उच्च स्तर कि ओर प्रवाहित होते है। और इस प्रकार निर्णयन प्रकिया पद सोपान कम में समान मार्गो मे निहित होती है। जिसे निम्नवत रेखांकित किया जा सकता है।

1– प्रत्येक प्रकरण जो समुचित प्राधिकारी के विचारार्थ लाया जाता है। सर्वप्रथम अभिलेख एवं प्रपत्रो को धारित करने वाले अनुभाग एवं सीट के पास सत्यापन हेतु भेजा जाता है । जिनके द्वारा उस पर अब तक अनुपालन की गई प्रकिया की अद्यतन स्थिति तथा उपलब्ध नियमों एवं विनियमो के आलोक में की जा सकने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया जाता है

2– पद धारणकर्ता/प्रभारी अधिकारी प्रकरण के समय से निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रकिया का पर्यवेक्षण करते है। तथा पत्रावली में अपनी टिप्पणी कर ऐसे उच्च प्राधिकारी को भेज देते है ।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय

3– उच्च प्राधिकारी प्रकरण की प्रवृत्ति के अनुसार उचित होने पर अनुकूलतम एवं सर्वोत्तम सम्भव निर्णय पर पहुँचने हेतु उसके समस्त आयामों पर विचार विमर्श करते है ।

4– **(क)**–विधिक एवं विशेषज्ञ राय की आवश्यकता वाले प्रकरणो में उनसे सलाह के पश्चात ही निर्णय लिए जाते है तथा उच्च प्राधिकारियों के पास निर्देशों एंव स्वीकृति प्रस्तावों पर उनके निर्देश प्राप्त किये जाते है ।

(ख)–उच्च निर्णय पर पहुँचने हेतु विभागीय स्तर पर समितियों से उनको सौपे गये विशिष्ट कार्य पर उनकी संस्तुतियां भी प्राप्त की जाती है।

5– नियमो एवं आदेशों के अनुसार प्रत्येक समूह के अधिकारियों हेतु अनुमन्य प्रतिनिहित प्राधिकार सीमा के अन्तर्गत ही निर्णय लिये जाते है। उचित नियोजन नीति निर्माण एवं कियान्यवन को सुनिश्चित करने हेतु सेमिनार ,सम्मेलन, सभाओ एवं वर्कशाप का आयोजन भी किया जाता है।

महाविद्यालयों का प्रशासनिक एवं शैक्षणिक नियन्त्रण एवं निर्देशन, प्रवेश प्रकिया एवं परीक्षा तिथियों का निर्धारण, शैक्षणिक कैलेन्डर सम्बन्धी प्रकिया

1– प्रवेश प्रकिया सम्बन्धी नियमों एवं प्रकिया का निर्धारण प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । यह नियम महाविद्यालय के द्वारा निगमित सूचना विवरणिकाओं में भी प्रकाशित होती है। महाविद्यालय में प्रवेश इन्ही नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ।

2– परीक्षा तिथियों एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण विश्वाविद्यालयों के द्वारा किया जाता है। परीक्षाएं महाविद्यालय में बनाए गये परीक्षा केन्द्रों पर सम्बन्धित विश्वाविद्यालय के निर्देशन में आयोजित कराई जाती है तथा परीक्षा परिणाम भी विश्वाविद्यालय के द्वारा घोषित किये जाते है।

3– कीड़ा प्रतियोगिता छात्र/छात्राओं से प्राप्त कीडा शुल्क के आलोक में इस सत्र में किया गया है।

मैनुअल –4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

मैनुएल 3 उल्लिखित समस्त नियमों, विनियमों, अनुदेशों तथा अभिलेखों में उनका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित नियमावालियों से भी सन्दर्भ आवश्यकतानुसार लिया जाता है।

1–उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड मूल नियम, वित्तीय हस्तपुस्तिका; समस्त खंड ।

2–मूल सेवा नियमावली ।

प्राचार्य
रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

3–सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली ।

महाविद्यालय–प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक कार्य दिवस में महाविद्यालय/संस्था की निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित रूप में प्राध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है, किन्तु प्रत्येक प्राध्यापक की प्रतिदिन की न्यूनतम उपस्थिति 6 घंटे 40 मिनट (40 घण्टे साप्ताहिक) की उपस्थिति यू0 जी0 सी0 मानकों के अनुसार अनिवार्य है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार अधिक समय उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये जा सकते है ।

भाग 2

मैनुअल – 5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4/1/बी तथा धारा 4 2/4/3 तथा 4(4) के अर्न्तगत प्रत्येक लोक प्राधिकारी निम्न 17 बिन्दुओं पर स्वतः ही सूचना प्रकट करेगा ।

1–संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।

2–अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य

3–लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम ,विनियम,अनुदेश निर्देशिका ,और अभिलेख की सूचना ।

4–नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के लिए सूचना।

5–दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है श्रेणियों के अनुसार विवरण।

6–बोर्डो ,परिषदों ,समितियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ।

7–लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

8–निर्णय करने की प्रकिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)

9–अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।

10–अपने प्रत्येक अधिकारी और उसके कर्मचारी द्वारा प्राप्त मसिक आय, पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति ।

11–प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन विवरण की सूचना सहित)

12–रियायतों अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण ।

13–कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक /नियम ।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

14–किसी इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्योरें ।

15–सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी हो तो उसका भी विवरण ।

16– विशिष्टियाँ।

17– अन्य सूचनायें।

मैनुअल – 6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में धारित सूचनाऐं महाविद्यालय स्तर पर कार्यालय प्राचार्य के द्वारा समस्त शैक्षणिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों को धारित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के सन्दर्भ में आवश्यक दस्तावेज कार्यालय अधीक्षक के पास, वित्तीय दस्तावेज एवं पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी/पुस्तकालय कर्मी के अधीन रहते है। विभिन्न विभागों में रखी गयी पत्रावलियां एवं स्टॉफ पंजिकायें विद्यार्थी प्रवेश उपस्थिति, परीक्षा पंजिकायें तत्सम्बन्धी विभाग प्रभारी अथवा प्रयोगशाला सहायक या स्टोर सहायक के नियंत्रण में रखी जाती है । कुछ विशिष्ट पत्रावलियां एवं पंजिकायें तथा तत्सम्बन्धी दस्तावेज प्राचार्य द्वारा गठित समितियों के संयोजकों के नियंत्राणधीन होती है ।

मैनुअल – 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सम्बन्धों (सदस्यों) से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना ।

शिक्षक–अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) – संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक सम्बन्धों में वृद्वि तथा स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के प्रयास हेतु राज्य के समस्त महाविद्यालयों में अभिभावक – शिक्षक परिषद(पी0टी0ए0) गठन का प्रावधान है। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित इस संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है। तथा महाविद्यालय के नामित शिक्षक इसके सचिव के रूप में कार्य करते है। वर्तमान में महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) का गठन हो चुका है।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय ...
दल्लावाला, खानपुर ...

डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य	प्राचार्य / संरक्षक
श्री अमित	अध्यक्ष
श्री अरूण कुमार	उपाध्यक्ष
श्रीमती कुंता	कोषाध्यक्ष
डॉ0 संतोष कुमार सिंह	संयोजक
डॉ0 धनंजय शर्मा	सचिव / सहसंयोजक

पी0टी0ए0 समिति के प्रमुख कार्य निम्नवत् होंगे।

1–शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना ।
2–संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
3–संस्था के संसाधनों को बढाने में निजी सहयोग प्राप्त करना ।
4–अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना ।

मैनुअल – 8

ऐसे बोर्डों ,परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं। जिनका प्रयोग उसके भाग रूप या इसके बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों,समितियों और अन्य निकायो की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी ।

महाविद्यालय में गठित होने वाली समितियाँ,

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण महाविद्यालय स्तर पर लागू नहीं है।

महाविद्यालय स्तर पर अधिप्राप्ति अधिनियम 2008/एवं 2015 के अनुसार वित्त विभाग संगत शासनादेशों आलोक में महाविद्यालय स्तर पर क्रय समिति का गठन किया गया है।

1. **क्रय समिति–** महाविद्यालय/कार्यालय हेतु आवश्यक सामग्री क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति अधिनियम 2008, 2015 तथा 2017 के अनुसार स्थानीय बाजार में सामग्री सर्वेक्षण तथा क्रय संस्तुति हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

क्र0सं0	नाम	संयोजक/सदस्य
1.	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	संयोजक
2.	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	सदस्य
3.	डॉ0 धनंजय शर्मा	सदस्य
4.	डॉ0 भूपेन्द्र	सदस्य
5.	डॉ0 रेणु देवी	सदस्य

समिति पंजिका–2024–25

क.सं.	समिति का नाम	संयोजक	सदस्य
1	बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर प्रवेश समिति	डॉ0 भूपेन्द्र	डॉ0 रेणु देवी श्री अश्वनी कुमार श्री मूलू सिंह
2	क्रय समिति	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी
3	बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर प्रवेश समिति	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 संतोष कुमार सिंह श्री मूलू सिंह
4	बी0ए0 पंचम सेमेस्टर प्रवेश समिति	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 भूपेन्द्र श्री दीपक सिंह
5	युवा संसद	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी
6	नशामुक्ति/मादक पदार्थ निवारण प्रकोष्ठ	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र श्री मनमोहन सिंह श्री गौतम पूरन चन्द श्री मूलू सिंह
7	क्रीड़ा	डॉ0 भूपेन्द्र	डॉ0 रेणु देवी श्री मूलू सिंह
8	समर्थ पोर्टल	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
9	रूसा एवं अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 धनंजय शर्मा श्री गौतम पूरन चन्द
10	छात्रवृत्ति	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
11	महिला उत्पीडन निवारण समिति आन्तरिक परिवाद (POSH)	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 रेणु देवी
12	एण्टी रैगिंग निवारण प्रकोष्ठ	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

13	अनुशासक मंडल	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी
14	कौशल विकास समिति	डॉ0 भूपेन्द्र	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 रेणु देवी
15	शैक्षणिक / अवकाश / समय सारणी	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 भूपेन्द्र श्री गौतम पूरन चन्द
16	परीक्षा समिति	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी
17	शिक्षक–अभिभावक मण्डल समिति	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 धनंजय शर्मा श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह
18	भूमि–भवन समिति	डॉ0 धनंजय शर्मा	श्री मनमोहन सिह
19	लद्यु निर्माण	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 संतोष कुमार सिंह
20	स्वच्छ भारत अभियान	डॉ0 भूपेन्द्र	श्री गौतम पूरन चन्द श्री मूलू सिंह
21	महाविद्यालय प्रांगण विकास एवं सौन्दर्यीकरण	डॉ0 रेणु देवी	श्री गौतम पूरन चन्द श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह श्री अंकित
22	जल संरक्षण	डॉ0 रेणु देवी	श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह
23	कैरियर काऊँसिलिग	डॉ0 भूपेन्द्र	डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 रेणू देवी
24	बौद्विक सम्पदा अधिकार / नवाचार	डॉ0 भूपेन्द्र	डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा
25	रेड कास	डॉ0 भूपेन्द्र	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 संतोष कुमार सिंह
26	देवभूमि उद्यमिता योजना	डॉ0 रेणु देवी	डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 भूपेन्द्र
27	रेंजर्स दल	डॉ0 रेणु देवी	डॉ0 भूपेन्द्र श्री गौतम पूरन चन्द श्री मूलू सिंह
28	प्रैस / विज्ञप्ति	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 भूपेन्द्र श्री दीपक सिंह
29	भवन निर्माण निरीक्षण	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 रेणु देवी

प्राचार्य
रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

30	महाविद्यालय वेबसाईट	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी डॉ0 भूपेन्द्र
31	मुख्यमंत्री हेल्प लाईन	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र
32	चुनावी साक्षरता कलब	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र
33	ई रक्त कोष	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी
34	कानूनी सहायता	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 रेणु देवी
35	सहायक लोक सूचना अधिकार	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 भूपेन्द्र श्री मनमोहन सिह
36	MIS पोर्टल	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
37	IQAC/NAAC	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी श्री अश्वनी कुमार श्री दीपक सिंह
38	NIRF	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र
39	SIRF	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र
40	शोध एवं विकास प्रकोष्ठ	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 धनंजय शर्मा
41	सड़क सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 भूपेन्द्र श्री गौतम पूरन चन्द श्री दीपक सिंह श्री मूलू सिंह
42	सांस्कृतिक एवं समारोह	डॉ0 रेणु देवी	डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 भूपेन्द्र
43	वेतन निर्धारण	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 धनंजय शर्मा
44	SC/ST/OBC	डॉ0 रेणु देवी	डॉ0 भूपेन्द्र
45	सम्बद्धता समिति	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 धनंजय शर्मा श्री मनमोहन सिंह
46	आयकर	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 धनंजय शर्मा
47	चयन समिति	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी डॉ0 धनंजय शर्मा
48	पुरातन छात्र समिति	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा
49	Language Lab समिति	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी
50	उत्कर्ष	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 धनंजय शर्मा

51	पुस्कालय / वाचनालाय / ई ग्रन्थालय	श्री अश्वनी कुमार	श्री गौतम पूरन चन्द श्री दीपक सिंह
52	छात्र संघ / छात्र कल्याण	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 धनंजय शर्मा
53	बायोमैट्रिक उपस्थिति	डॉ0 धनंजय शर्मा	डॉ0 भूपेन्द्र श्री अश्वनी कुमार
54	ई आंकलन	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	डॉ0 भूपेन्द्र
55	वर्षिक पत्रिका समिति	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	डॉ0 संतोष कुमार सिंह डॉ0 धनंजय शर्मा डॉ0 भूपेन्द्र डॉ0 रेणु देवी

नियमानुसार बैठकों में नामित जनप्रतिनिधि अथवा विशेष तत्सम्बन्धी बोर्ड अथवा समिति या परिषद में सूचना देकर आमंत्रित किए जाते है, और उन तक कार्यवृत्त की पहुँच होती है। किन्तु कतिपय अपवाद को छोडकर शेष सभी बैठको के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुँच नियमानुसार उपलब्ध होगी।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

मैनुअल – 9

रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार), में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका –

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मौलिक वेतन
1.	डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य	प्राचार्य	176500.00
2.	डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी	असि0प्रो0 शिक्षाशास्त्र	89900.00
3.	डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी	असि0 प्रो0 अंग्रेजी	77600.00
4.	डॉ0 संतोष कुमार सिंह	असि0प्रो0 राजनीति विज्ञान	76600.00
5.	डॉ0 धनंजय शर्मा	असि0प्रो0 समाजशास्त्र	73000.00
6.	डॉ0 रेणु देवी	असि0प्रो0 हिन्दी	64900.00
7.	डॉ0 भूपेन्द्र	असि0प्रो0 संस्कृत	64900.00
8.	श्री मनमोहन सिंह	कनिष्ठ सहायक	25200.00
9.	श्री अश्वनी कुमार	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	35900.00
10.	श्री गौतम पूरन चन्द	पुस्तकालय सहायक	23800.00
11.	श्री दीपक सिंह	बुक लिफ्टर (उपनल)	19057.00 मानदेय
12.	श्री मूलू सिंह	अनुसेवक (उपनल)	19057.00 मानदेय
13.	श्री पूरन सिंह	अनुसेवक (उपनल)	19057.00 मानदेय
14.	श्री मनमोहन सिंह	चौकीदार (उपनल)	19057.00 मानदेय
15.	श्री अंकित	स्वच्छक (उपनल)	19057.00 मानदेय

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

मैनुअल – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उनके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह क) नियमावली 2003 (यथा संशोधन) के भाग–7 प्रस्तर 21 वेतनमान में (समूह क) के विभिन्न पदो हेतु श्रेणीवार प्रवृत वेतनमान निम्नवत निर्धारित है ।

पूर्व उधृत

श्रेणी	पद का नाम	वेतनमान
क	प्राचार्य डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य	144200-218200 level- 14
क	असिस्टेंट प्रोफेसर 1. डॉ0 निबेदिता प्रियदर्शनी 2. डॉ0 प्रज्ञा राजवंशी 3. डॉ0 संतोष कुमार सिंह 4. डॉ0 धनंजय शर्मा 5. डॉ0 रेणु देवी 6. डॉ0 भूपेन्द्र	1. 68900-205600 level- 11 2. 68900-205600 level- 11 3. 68900-205600 level- 11 3. 57700-182400 level- 10 4. 57700-182400 level- 10 5. 57700-182400 level- 10
ग	कनिष्ठ सहायक 1. श्री मनमोहन सिंह	21700-69100 level- 03
ग	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष 1. श्री अश्वनी कुमार	29200-92300 level- 05
ग	पुस्तकालय सहायक 1. श्री गौतम पूरन चन्द	21700–69100 Level–03
घ	बुक लिफ्टर 1. श्री दीपक सिंह	–
घ	अनुसेवक 1. श्री पूरन सिंह 2. श्री मूलू सिंह	–
घ	स्वच्छक / चौकिदार 1. श्री मनमोहन सिंह 2. श्री अंकित	–

प्राचार्य
राजी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

मैनुअल – 11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियॉ करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

उद्देश्यवार वर्गीकरण; लेखाशीर्षक एवं मानक मदवार विवरण)

Main Budget-2202 (सामान्य शिक्षा) 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

लेखाशीर्षक 2202031030300 राजस्व पक्ष

क्र0 सं0	मानक मद	वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 (01. 04.2024 से 31.03.2025) तक मानक मदवार व्यय	बचत/ आधिक्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	04–यात्रा व्यय	20000	13894	6106	बजट समर्पण
2	08–पारिश्रमिक	1351000	1286765	64235	बजट समर्पण
3	10–प्रशिक्षण व्यय	35000	34295	705	बजट समर्पण
4	20–लेखन सामग्री एवं छपाई	19000	19000	0	पूर्ण उपभोग
5	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50000	49800	200	बजट समर्पण
6	22–कार्यालय व्यय	21000	20965	35	बजट समर्पण
7	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	43000	42165	835	बजट समर्पण
8	42–अन्य विभागीय व्यय	80000	80000	0	पूर्ण उपभोग
	कुल समर्पित धनराशि(बहत्तर हजार एक सौ सोलह रूपये मात्र)			72116.00	

लेखाशीर्षक 2202031031400 नैक प्रत्यायन शुल्क

राजस्व पक्ष

क्र0 सं0	मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 (01. 04.2024 से 31.03.2025) तक मानक मदवार व्यय	बचत/ आधिक्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	56–नैक प्रत्यायन	501500	501500	0	पूर्ण उपभोग

लेखाशीर्षक 2202031031700 ई–ग्रन्थालय योजना(ऑनलाइन जर्नल्स सब्सक्रिप्शन)

राजस्व पक्ष

क्र0 सं0	मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024–25 (01. 04.2024 से 31.03.2025) तक मानक मदवार व्यय	बचत/ आधिक्य	अभ्युक्ति

प्राचार्य
रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

1	2	3	4	5	6
	42—अन्य विभागीय व्यय	50000	50000	0	पूर्ण उपभोग

लेखाशीर्षक 2202031070700 (मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति) राजस्व पक्ष

क्र0 सं0	मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2024—25 में कुल आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024—25 (01.04.2024 से 31.03.2025) तक मानक मदवार व्यय	बचत / आधिक्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	45—छात्रवृत्तियाँ	108000	108000	0	पूर्ण उपभोग

प्राचार्य
रानी धर्म कुँ[illegible]
दल्लावा[illegible]

सत्र– 2024–25 में महाविद्यालय के छात्र निधि व अन्य खातों का विवरण

सत्र 2024–25 में महाविद्यालय के छात्र निधि खातों का विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	छात्र निधि का नाम	01.04. 2024 की धनराशि (रू0)	सत्र 2024–25 में जमा धनराशि (रू0)	कुल जमा धनराशि (रू0)	सत्र 2024–25 में व्यय (रू0)	अवशेष (रू0)
1	विभागीय परिषद शुल्क	30760.30	12650.00	43410.30	32098.00	11312.30
2	क्रीडा शुल्क	91482.95	62100.00	153582.95	146719.00	6863.23
3	वाचनालय शुल्क	17706.23	7820.00	25526.23	5759.00	19767.23
4	पत्रिका शुल्क	40788.65	8550	49988.65	15000.00	34988.65
5	प्रयोगात्मक शुल्क	9881.95	4520	14401.65	00	14401.95
6	छात्र संघ शुल्क	36629.65	10005	46634.65	15000.00	31634.65
7	काउँसिलिंग शुल्क	22635.30	5130	28155.30	5000.00	23155.30
8	रोवर्स रेंजर्स शुल्क	11184.30	8970	20154.30	19104.72	1049.58
9	छात्र सहायता कोष शुल्क	13626.30	2990	16616.30	6437.36	10178.94
10	परिचय पत्र शुल्क	9106.07	5175	14281.07	2800.00	11481.07
11	कम्प्यूटर शुल्क	28291.95	46520	74811.95	11733.72	63078.23
12	सांस्कृतिक परिषद शुल्क	18820.30	10005	29825.30	29583.72	241.58
13	जल–विद्युत शुल्क	19629.30	15640	35269.30	18983.00	16286.30
14	कॉशनमनी शुल्क	12426.95	13800	26226.00	59.00	26167.95
15	शिक्षक–अभिभावक संघ शुल्क	32862.30	7820	40682.30	16300.00	24382.30
16	महाविद्यालय सौन्दर्यीकरण शुल्क	24199.30	14950	39139.30	34470.00	4669.30
17	विविध शुल्क	32520.94	22770	55290.30	51198.36	4091.94
18	प्रसाधन शुल्क	15934.00	9200	25134.00	10618.00	14516.00
19	महाविद्यालय दिवस शुल्क	13091.40	4830	17921.40	15400.00	2521.40
20	जनरेटर/इनर्वटर शुल्क	28988.40	9200	38188.40	24600.00	13588.40
21	पार्किंग शुल्क	11164.00	2875	14039.00	8500.00	5539.00
22	रेड क्रॉस शुल्क	17200.00	12880	30080.00	3120.36	26959.64
23	प्रायोगिक मौखिक शुल्क	0	350	350.00	00	350.00

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

मैनुअल – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है

महाविद्यालय स्तर पर नियमानुसार स्वीकृत की जाती है–

क्र0 स0	छात्रवृत्ति का नाम	प्रस्तावित वास्तविक व्यय 2024 –2025	छात्रवृत्ति की संख्या एवं दर
01	अनुजा/जनजा/पि0 जाति	छात्रवृत्ति कार्यालयः जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के माध्यम से वितरति की जाती है।	

मैनुअल – 13

रियायत

समय–समय पर शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में रियायत दी जाती है।

मैनुअल – 14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसके उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो

महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य कार्यालय में आधारभूत सूचनाओं का कार्य कम्प्यूटरीकृत हो चुका है। निदेशालय कार्यालय में महाविद्यालय द्वारा तैयार स्टॉफ स्टेटमेंन्ट कम्प्यूटर में संग्रहित है, जो इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सकता है।

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)

मैनुअल – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचनालय कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

सूचनायें आवेदन पर कार्यालय समय (प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे जक) में विभिन्न कार्य दिवसों में उपलब्ध होगी । इस मध्य अपेक्षित सूचनायें– रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला, खानपुर, (हरिद्वार) सूचना अधिकारी प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है।

मैनुअल – 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

संस्था/कार्यालय का नाम	प्राचार्य का नाम	डी.डी.ओ. कोड
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर, (हरिद्वार)	(डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य)	4577

मैनुअल – 17

महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग रोकने सम्बन्धी प्रकरणः– महाविद्यालय में माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्रांक 482/xxiv(6)/2007 दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के अनुपालन में रैगिंग रोकने के लिए एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया गया है जिसका गठन निम्नवत् हैः–

1. डॉ0 संतोष कुमार सिंह – संयोजक
2. डॉ0 भूपेन्द्र – सदस्य
3. डॉ0 रेणु देवी – सदस्य

(डॉ0 आदित्य कुमार मौर्य)
लोक सूचना अधिकारी/ प्राचार्य

प्राचार्य
रानी धर्म कुँवर राजकीय महाविद्यालय
दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार)